

मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)

अधिसूचना क्रमांक एफ 3-74-2008-छब्बीस-2 दिनांक 22 अगस्त, 2008—माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा 23 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-8-2008 पृष्ठ 1047 पर प्रकाशित।]